न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2025/171

मिसल नम्बर– 23 / 2025

1.श्री मोहनलाल राठौर उम्र 82 वर्ष पुत्र श्री मांगीलाल
2.श्रीमती अयोध्या बाई उम्र 76 वर्ष पत्नी श्री मोहनलाल राठौर निवासीगण एफ–6 शर्मा पान वाले की गली, पुराना जवाहर नगर, कोटा राज0

प्रार्थीगण।

बनाम

1.राजेन्द्र राठौर पुत्र श्री मोहनलाल राठौर
2.ओमप्रकाश राठौर पुत्र श्री मोहनलाल राठौर
3.बसंत राठौर पुत्र श्री मोहनलाल राठौर जर्ये श्री पुनीत राठौर पौत्र निवासीगण एफ 6 शर्मा पान वाले की गली, पुराना जवाहर नगर, कोटा राज0

अप्रार्थीगण।

–:निर्णयः–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 22/12/25

उपस्थितिः–

1.श्री हितेन्द्र सिंह राव प्रार्थीगण अधिवक्ता
2.श्री वीरेन्द्र सिंह सोनी अप्रार्थीगण अधिवक्ता

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण रिश्ते में अप्रार्थीगण के माता पिता है और अप्रार्थीगण सभी एक ही मकान के साथ निवास करते चले आ रहे है जिसका कि मकान नंबर भी एफ 6 ही है। प्रार्थीगण के कूल 5 बच्चे है जिसमें कि अप्रार्थी कम–1 सबसे बडे पुत्र है। प्रार्थी बीएसएनएल में लाईन इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे और वर्तमान में सन् 2002 में रिटायर्ड हो चुके है। चूंकि प्रार्थीगण की उम्र क्रमश–82 एवं 76 वर्ष है। प्रार्थीगण की उम्र अत्यधिक होने के कारण वह चलने फिरने में व कार्य करने में असमर्थ है। प्रार्थीगण एक –दूसरे का खाना पीना दवाई व अन्य सभी खर्चे प्रार्थी श्री मोहनलाल जी द्वारा ही वहन किया जा रहा है। प्रार्थीगण की सार संभाल एवं देखभाल की जिम्मेदारी अप्रार्थीगण तीनो की थी परन्तु अप्रार्थीगण तीनो पुत्र द्वारा प्रार्थीगण की ना कोई सार संभाल की जा रही है और ना ही किसी प्रकार से उनकी देखरेख की जा रही है। प्रार्थिया अयोध्या बाई जो कि चलने फिरने में भी असमर्थ है और बाथरूम जाने में भी असमर्थ है उनकी समस्त देखरेख प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

मोहनलाल द्वारा की जा रही है जो स्वयं 82 वर्ष के है और काफी बुजुर्ग है। जिस मकान में अप्रार्थगण निवास कर रहे है वह मकान प्रार्थिया श्रीमती अयोध्या बाई का है जिनको कि अप्रार्थीगण ने बहला फुसलाकर भरोसा दिलाकर कि हम आपकी देखरेख करेंगे और आपका भरण–पोषण करेंगे और आपकी सम्पूर्ण देखभाल करेंगे कहकर बहला फुसलाकर अपने नाम गिफ्ट डीड करवा ली और मकान का बचा हुआ शेष हिर्सा भी अप्रार्थी क्रम–2 व 3 ने प्रार्थिया को झांसे में रखकर अपने नाम करवा लिया और इस तरह से पूरे उक्त मकान पर अप्रार्थीगण काबिज हो गये। मकान अपने नाम करवाने के बाद अप्रार्थीगण ने उन पर ध्यान देना बन्द कर दिया और ना ही उनकी कोई देखभाल की वह दोनो इस बुजुर्ग अवस्था में एक–दूसरे का सहारा बनकर अपने दैनिक कार्यों को पूरा कर रहे है। जबकि प्रार्थीगण की सेवा करना उनकी जिम्मेदारियो को उठाना अप्रार्थीगण का नैतिक कर्त्तव्य था जिसको कि अप्रर्थीगण पूरा नही कर रहे है। प्रार्थीगण को इस बुजूर्ग अवस्था में अपना स्वयं का टिफिन बाजार से मंगाकर अपना पेट भरना रहा है और अप्रार्थीगण तीनो पुत्रो के द्वारा उनकी किसी प्रकार से सेवा नही की जा रही है। इस संबंध में प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को दिनांक–26.03.2025 को जर्ये अधिवक्ता एक नोटिस भी प्रेषित किया गया। उक्त नोटिस अप्रार्थीगण को प्राप्त हो गया। लेकिन उक्त नोटिस का भी ना तो अप्रार्थीगण ने कोई जवाब दिया और ना ही किसी प्रकार का कोई भरण–पोषण व देखरेख ही प्रार्थीगण की अप्रार्थीगण के द्वारा किया जा रहा है। इस कारण अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की देखभाल, सेवा सुश्रूषा आदि करने के लिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हो गया है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण एफ–6, शर्मा पान वाले की गली, पुराना जवाहर नगर, कोटा राज0 के निवासी है। प्रार्थीगण सीनियर सिटीजन व्यक्ति है इसलिये माननीय न्यायालय को प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि वह प्रार्थीगण की सेवा, सुश्रुषा करे जिससे कि प्रार्थीगण की बची हुई शेष जिन्दगी शांतिपूर्वक तरीके से व्यतीत हो सके। यदि अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की सेवा नहीं करना चाहते है तो प्रार्थिया को मजबूरन उक्त गिफ्ट डीड को केन्सिल करवाने को बाध्य होना पड़ेगा।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थी नं0 1 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थीगण का प्रार्थीगण ने आपसी रजामंदी से मकान के हिस्से का बँटवारा कर दिया है. अपने–अपने हिस्से में निम्माण कार्य कराकर सभी अप्रार्थीगण निवास कर रहे है। अप्रार्थीगण प्रर्थीगण को किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होने दे रहे हैं। प्रार्थी नं. । बी एस एन. एल. में लाईन इस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे और सन् 2002 में सेवानिवृत हो चुके है उक्त तथ्य स्वीकार है। प्रार्थीगण पूर्णतया स्वस्थ्य है अपना नित्यकर्म सुचारू रूप से कर लेते है तथा प्रार्थी नं. 1 को बी.एस एन एल. विभाग से लगभग 35,000/– रूपये से भी अधिक पेंशन प्राप्त होती है। प्रार्थीगण सरकारी

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

सेवा में थे, इसलिए आर.जी एच एस. के जरिये ईलाज करा लेते है, कोई खर्चा नहीं होता है, प्रार्थीगण पूर्णतया स्वस्थ्य है अपना दैनिक कार्य सुचारू रूप से करते है तथा आवश्यकता पड़ने पर अप्रार्थीगण उनकी मदद व सहायता करने हेतु तत्पर तैयार रहे है। अप्रार्थीगण अपने माता–पिता की सेवा, सहायता, मदद के लिए हमेशा तत्पर व तैयार रहते है, प्रार्थीगण की पूर्व में भी सेवा करते रहे है, भविष्य में भी करते रहेगें, अप्रार्थी नं. 2 व 3 ने प्रार्थीगण को झाँसे में नहीं रखा, प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की सेवा व मदद को देखते हुए अपनी स्वेच्छा से अप्रार्थीगण के पक्ष में गिफ्ट डीड का निष्पादन किया है, गिफ्ट डीड की लिखापढ़ी, वकील खर्चा, अप्रार्थीगण के द्वारा ही वहन किया है। सभी अप्रार्थीगण अपने माता –पिता की पूर्ण सार संभाल, देखरेख करते है, उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने देते है। प्रार्थीगण की अप्रार्थी नं. 1, 2, 3 खूब सेवा करते हैं, सुबह शाम को रोटी, सब्जी, पानी का इंतजाम करते हैं, प्रार्थीगण की एक पुकार करने पर अप्रार्थीगण हाजिर हो जाते है, अप्रार्थी नं. 2 स्वयं का टिफिन सेन्टर चलाता है, इसलिए एक–एक टिफिन, सुबह–शाम अपने माता –पिता को रखकर जाता है, तीनों पुत्र मिलजुलकर प्रार्थीगण की सेवा सहायता करते हैं। प्रार्थीगण अपनी पुत्री के बहकावे में आकर मिथ्या कथनों के आधार पर हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश किया है, जबकि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण का पूर्ण ख्याल रखते है, खाने–पीने की समूचित व्यवस्था करते है, अप्रार्थी नं. 2 टिफिन सेन्टर चलाता है, एक – एक टिफिन सुबह– शाम अपने माता –पिता के पास अवश्य रखता है। प्रार्थीगण अपनी स्वेच्छा से अपने पुत्रों के बीच अपने मकान का बँटवारा कर दिया है, बँटवारा होने के बाद अप्रार्थीगण ने अपने हिस्से का पूनः निर्माण कर मकान को दुरूस्त अवस्था में कर लिया है तथा नल बिजली का खर्चा भी अप्रार्थीगण ही अलग–अलग वहन करते है तथा प्रार्थीगण ने अपनी स्वेच्छा से अप्रार्थीगण के सेवाभाव से अभिभूत होकर उक्त मकान के सम्बन्ध में हिस्से को लेकर उत्पन्न विवाद को समाप्त करते हुए प्रत्येक पुत्र को अपना हिस्सा उक्त डीड का निष्पादन कर ट्रांसफर कर दिया हे तथा अप्रार्थीगण अभी भी प्रार्थीगण की सेवा–सुश्रुषा करते है अपने पुत्र धर्म का पालन करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण की बहिन ने प्रार्थीगण को भड़का दिया है व उनके मन में शंका व भ्रम उत्पन्न कर दिया है जिस कारण से प्रार्थीगण ने झूठे तथ्यों के आधार पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त आशय का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया है, जबकि अप्रार्थीगण चाहते है कि परिवार में मेलजोल बना रहे और माता –पिता प्रसन्न रहे और उनका आर्शीवाद उनको प्राप्त होता रहे। प्रार्थीगण सरकारी सेवा में थे और उनको 35,000/– रूपये से भी अधिक पेंशन की राशि प्रतिमाह प्राप्त होती है, उक्त राशि को अपनी इच्छानुसार प्रार्थीगण खर्च करते है तथा आरजीएचएस से प्रार्थीगण अपना ईलाज करा लेते है, ईलाज में भी कोई खर्चा वहन नहीं करते है, समय– समय पर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की मदद के लिए तत्पर व तैयार रहते हैं तथा अप्रार्थीगण की बहन को भी अलग से मकान खरीदकर दे दिया है उसका उसने कोई अहसान नहीं माना है, बल्कि और राशि लेने का प्रयास कर रही है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे, प्रार्थीगण ने बहकावे में आकर उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने के आशय से पेश किया है।

प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रक्रिया के उपरांत पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। प्रार्थीगण की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराया गया। अप्रार्थीगण की ओर से बहस नहीं की गई।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थीगण की ओर से कथन किया गया है कि प्रार्थीगण की उम्र अत्यधिक होने के कारण वह चलने फिरने में व कार्य करने में असमर्थ है। प्रार्थीगण की सार संभाल एवं देखभाल की जिम्मेदारी अप्रार्थीगण तीनो की थी परन्तु अप्रार्थीगण तीनो पुत्र द्वारा प्रार्थीगण की ना कोई सार संभाल की जा रही है और ना ही किसी प्रकार से उनकी देखरेख की जा रही है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि वह प्रार्थीगण की सेवा सुश्रुषा करे। प्रार्थीगण की कथनों का खण्डन करते हुये अप्रार्थीगण की ओर से निवेदन किया गया है कि अप्रार्थीगण अपने माता पिता की पूर्ण सार संभाल, देखरेख करते है उन्हे किसी प्रकार की कोई परेशानी नही होने देते है।

चूंकि प्रार्थीगण की उम्र अत्यधिक होने के कारण वह चलने फिरने में व कार्य करने में असमर्थ है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के पुत्र है जिस कारण से अप्रार्थीगण का कर्त्तव्य है कि वह अपने बुर्जुग माता पिता की सेवा सुश्रुषा करे उनके भोजन, ईलाज इत्यादि की व्यवस्था करे। अप्रार्थीगण की ओर से अपने जवाब प्रार्थना पत्र में यह तथ्य अंकित किया गया है कि अप्रार्थीगण अपने माता पिता की पूर्ण सार संभाल, देखरेख करते है उन्हे किसी प्रकार की कोई परेशानी नही होने देते है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम स्वीकार करते हुये अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे अपने नैतिक कर्त्तव्य का पालन करते हुये प्रार्थीगण की सेवा, सुश्रुषा करे एवं उनके भोजन–ईलाज इत्यादि की व्यवस्था करे।

उक्त निर्णय आज दिनांक 22/12/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा